न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कैरामी / मुरैना / भू.रा/2018/1518

प्रकरण क्रमांक: /२०१८- निगरानी

श्री एस०के० अवस्थी एड० द्वारा आज दि. 1-3-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-3-18 नियत। रीडर ऑफ कोर्ट 1-3-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

१- राधेश्याम तोमर पुत्र ग्यासीराम,

२- श्रीमती सुमन पत्नी लोकमन तोमर,

निवासीगण ग्राम घुर्सगवा, तहसील व जिला-मुरैना-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, मुरैना -म०प्र० ।

२- पन्नालाल पुत्र फादीराम जाटव, निवासी - संतोषीलाल वाली गली, वार्ड नम्बर-२, उत्तमपुरा, मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

३- देशराज। पुत्रगण मानलाल

४- सूरज ।

निवासीगण ग्राम जारह, तहसील मुरैना, जिला मुरैना-मध्यप्रदेश ।

५-सोमवती पुत्री मानलाल पत्नी वरीला जाटव, निवासिन ग्राम जारा, तहसील व जिला मुरैना-

६- मीना पुत्री मानलाल पत्नी बृजेश जाटव, निवासिन ग्राम वीनाई, तहसील जौरा, जिला मुरैना-मध्यप्रदेश ।

अवस्थी 9/3/18

... ग्वालियर 01/03/18 हस्ताक्षर व नाम

७- लक्ष्मी पत्नी मानलाल जाटव निवासिन ग्राम सहरैयन का पुरा, तहसील व जिला मुरैना-म०प्र०।

८- कमलेश पुत्री मानलाल पत्नी देवा जाटव, निवासिन कुमरपुरा, डाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ।

९- पोहप सिंह पुत्र फादीराम जाटव, निवासी सहरैयन का पुरा, तहसील व जिला मुरैना-म०प्र०

----प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय,मुरैना दिनांकी १५-०२-२०१८,अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ।३।१४-१५ स्वमेव निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा गया है ।

३- यह कि, वर्तमान प्रकरण मे धारा १६५(७)(ब) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ऐसी स्थिति मे पारित विवादित आज्ञा निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, कलेक्टर महोदय द्वारा धारा १५८ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों पर कोई विचार ही नहीं किया गया है ।

५- यह कि, विवादित आदेश पारित किये जाने के पूर्व प्रार्थीगण को कलेक्टर महोदय के न्यायालय मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

६- यह कि, दिया गया कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट,अपूर्ण, एंव भ्रामक होने से पारित आज्ञा निरस्ती योग्य है ।

७- यह कि, प्रार्थीगण ने विवादित भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा अभिलेखित भूमि स्वामियों से क्रय की है तथा उनका विधिवत नामान्तरण हुआ है । ऐसी स्थिति मे विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित विवादित आज्ञा निरस्ती योग्य है ।

८- यह कि, विवादित आदेश द्वारा दो पृथक पृथक कार्यवाहियाँ

XXIX(a)-BR(H)-11

(309)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/1518

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

----प्रतिप्रार्थीगण